न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 52/2011/अपील

1 सीताराम पुत्र रामूराम
2 भूराराम पुत्र तुलसाराम
समस्त जाति खारवाल निवासी आलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल } पुत्र श्री मिश्रा जाति मेहतर निवासी आलोदा तहसील दांतारामगढ़
2. गिरधारीलाल } जिला सीकर
3. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ के निर्णय दिनांक 05.05.2011 एवं दिनांक 09.05.2011 मुकदमा नम्बर 01/2011 अन्तर्गत धारा 183 (बी)

वकील अपीलांट श्री पोखरमल

निर्णय दिनांकः—16.08.2019

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजात के विपरीत पारीत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को न तो सुनवाई का अवसर प्रदान किया ओर न ही जबाबदेही लेकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन नही करते हुये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर न दिये जाने की सुरत में पारीत किया गया एकपक्षीय निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण/अपीलान्टस वर्णित भूमि ख.नं. 286/1729 एवं 301/1619 तन ग्राम आलोदा की कृषि भूमियों पर सम्वत 2009 से ही काबिज है एवं लगातार काश्त करते चले आ रहा है। प्रार्थी की कब्जे की इन भूमियों पर मौके पर सींव नींव बनी हुयी है। तथा प्रार्थीगण ने इन कृषि भूमियों पर लोहे के तारो की बाउड्री कर रखी है दूसरी तरफ अप्रार्थीगण ने भी अपनी कृषि भूमियों पर लोहे के कांटेदार तार लगाकर बाउड्री कर रखी है दोनो पक्ष अपने कब्जे काश्त की भूमियों पर काबिज है। पक्षकारान के मध्य मौके पर इन कृषि भूमियों के बाबत किसी तरह का कोई विवाद नही है। द्वितीय पैमाईस के वक्त पैमाईस कर्ता कर्मचारियों की भूल के कारण यदि कोई तरमीम करने में गलती हुयी है तो उसके लिये प्रार्थीगण जिम्मेदार नही है प्रार्थीगण अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर पुस्तैनी तौर पर ही काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार पर यदि प्रार्थीगण अपीलान्टगण को अपने स्वंय के कब्जे काश्त की भूमियों से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति

16/8/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2011 एवं दिनांक 09.05.2011 को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर प्रकरण में आगामी तारीख 14.02.2011 अंकित की गई। निर्धारित तारीख दिनांक 14.02.2011 को अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये एवं जवाब हेतु समय चाहा। आगामी तारीख दिनांक 28.02.2011 को अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर आगामी तारीख 15.04.2011 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 15.04.2011 को अप्रार्थीगण स्वयं व अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 में विवादग्रस्त आराजियात बाबूलाल गिरधारी पि. मिश्रा जाति महतर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अधिकार अभिलेख से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अपील मेमों में अंकित तथ्यों के मुताबिक विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांटान का कब्जा होने के सम्बंध में पत्रावली पर किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official